Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई
	Government:-	अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता कार्यपालन
	(Adverse comments made by any	अभियंता, 400 के.व्ही.लाईन (निर्माण) संभाग,
	officer or authority in Part-B or	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित,
	Part-C or Part -D above should be	कांकेर को 132 के.व्ही.डी.सी.एस.एस. कोण्डागांव से
	specifically commented upon)	नारायणपुर तक विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु
		दक्षिण कोण्डांगांव का २७.६२७ हे. वन भूमि तथा
		नारायणपुर वनमंडल का 10.247 हे. वन भूमि कुल
		37.874 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के
		अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा
		स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date: 27 -4-2017

Place: Raipur

Name

Atul Kumar Shukla

Designation -

Secretary,

C.G. Govt.,

Forest Department